Tele No. 06454243314
Fax No. 06454243314
Mobile No.9473077160

समाहरणालय, पूर्णियॉ
सूचना भवन
जन संपर्क कार्यालय

Website: https://www.prdbihar.gov.in
Email ID :dpro.purnia@gmail.com

प्रेस–नोट

पूर्णियाँ 18 मई। जिले के चक्रवात प्रभावित परिवारों को राहत वितरण कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेष जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। शनिवार 16.05.2015 तक जिले के चिन्हित 144982 परिवारों में से 114254 परिवारों के बीच मो0 66,26,73,200:00 रू0 का भुगतान किया जा चूका है। सुखा राषन के रूप में 18873 परिवारों को 1025.65 क्विंटल चूड़ा तथा 202.73 क्विंटल गुड़ बाटे गये है। अब तक एक क्विंटल खाद्यान्न के दर से कुल 94812 क्विंटल खाद्यान्न तथा 14465 सीट्स पॉलिथीन भी बांटे जा चूके है।

कृषि इनपुट अनुदान मद में दिनांक 15.05.2015 को जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कृषि इनपुट अनुदान वितरण के उपरांत शेष बची राषि अन्य प्रखंडो को चेक द्वारा हस्तगत कराने का निदेष भेजा गया है। निर्गत निदेष के अनुसार प्र0 वि0 पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व अपने प्रखंड में कृषि इनपुट अनुदान वितरण के उपरांत शेष बचे 4009469:00 रू0 के0नगर प्रखंड को एकाउंट पेसी चेक के माध्यम से 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा देंगे। इतने ही समयावधि के अंदर उक्त मद में शेष बची राषि में से प्र0 वि0 पदाधिकारी कसवा द्वारा मो0 39018:00 रू0 के0नगर प्रखंड को हस्तगत करायेगें। प्र0 वि0 पदाधिकारी श्रीनगर अपने प्रखंड में शेष बची राषि मे से प्र0वि0 पदाधिकारी जलालगढ़ को 1862315:00 तथा बनमनखी को 4535664:00 रू0 तथा प्र0वि0 पदाधिकारी धमदाहा द्वारा भी 10214059:00 रू0 प्र0 वि0 पदाधिकारी को ही 24 घंटे के अंदर एकाउंट पेसी चेक से हस्तगत करदेगें। प्र0वि0 पदाधिकारी, भवानीपुर को भी अवषेष राषि 4159251:00 रू0 में से मो0 1354564:00 रू0 प्र0वि0 पदाधिकारी बी0कोठी को एकाउंट पेसी चेक से हस्तगत कराने का निदेष भेजा गया है।

जिला नियंत्रण कक्ष

जिला में राहत एवं सहायय् अनुदान वितरण, भूकंप से क्षति एवं इससे संबंधित अन्य षिकायतों के लिये जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है। सभी आम जन अपनी हर षिकायत एवं सुझाव जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या– **06454 –241010, 241011, 242319** पर दे सकते है। जिला नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहते हैं। आम जनो द्वारा इस दूरभाष पर किसी प्रकार की जानकारी दी जा सकती है।

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्णियाँ

Tele No. 06454243314
Fax No. 06454243314
Mobile No.9473077160

समाहरणालय, पूर्णियाँ
सूचना भवन
जन संपर्क कार्यालय

Website: https://www.prdbihar.gov.in
Email ID :dpro.purnia@gmail.com

प्रेस–नोट

पूर्णियाँ 18 मई। श्री कुंदन कुमार, भा0 प्र0 से0, अनुमंडल दंडाधिकारी सदर पूर्णियाँ के द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन किये जाने वाले दोनो केन्दों पर भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने का आदेश जारि कर दिया है।

दिनांक 15.05.2015 से स्थानीय बीबीएम उच्च विद्यालय एवं जिला स्कूल में मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। इसके लिये मूल्यांकन केन्द्र पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

इसके अंतर्गत पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों (मूल्यांकन में लगे व्यक्तियों के छोड़ कर) को एक साथ शामिल होना वर्जित है, जबकि आग्नेयास्त्र, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर धनुष, लाठी आदि (पुलिस पदाधिकारी को छोड़ कर) लेकर चलना वर्जित है।

मुल्यांकन कक्ष में मोबाईल फोन, पेजर, इलेक्ट्रोनिक सामग्री नही ले जाना है। मूल्यांकन कार्य में शामिल कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी को मूल्यांकन परिसर में प्रवेष भी वर्जित है।

दिनांक 16.05.2015 से कार्य समाप्ति तक लागु रहेगा।

लोक अदालत

2. पूर्णियाँ 18 मई। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 15.05.2015 को जारी निदेष के अनुसार 11.07.2015 को 10:30 पूर्वा0 से व्यवहार न्यायालय पूर्णियाँ में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें विद्युत/जल/टेलीफोन/जन उपयोगी के सुलहनीय मामलों के समझाने का आधार पर निष्पादन किया जायगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत, पूर्णियाँ एवं नगर आयुक्त, पूर्णियाँ से उक्त विषय से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु सूची की मांग की गई है। इन्हें स्वंय भी उपस्थित होकर अधिकाधिक मामलों का निष्पादन कराने का अनुरोध किया गया है।

जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 17.05.2015 को स्थानीय जिला स्कूल के प्रांगन में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन–सह–मार्गदर्षन मेला का आयोजन किया गया है। इसमें 25 नियोजको ने भाग लिया तथा कुला 1971 वायोडाटा प्राप्त कर 1211 आवेदकों का चयन किया गया। चयनितो की सूची नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग को भेजी गई है।

मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाषन

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा जारी निदेष के द्वारा दिनांक 15.05.2015 से निर्वाचन सूची के प्रारूप प्रकाषन अवधि तक निर्वाचन संबंधी नामावली में षिकायतों की प्राप्ति एवं निराकरण तथा आवष्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये समाहरणालय के समाधान केन्द्र में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

जिला नियत्रंण कक्ष में कार्य करने के लिये सोमवार से शनिवार तक प्रति दिन 7:00 पूर्वा0 से 1:00 अप0 तथा 1:30 अप0 से 10:00 बजे रात्रि तक 3–3 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनमें एक पर्यवेक्षक स्तर, एक लिपिक स्तर एवं एक अनुसेवक स्तर के कर्मी शामिल होंगे।

उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी (निर्वाचन) को नियंत्रण कक्ष में एक टाल फ्री नंवर अधिष्ठापित करने का निदेष जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है।

वरीय उप–समाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी(निर्वाचन) जिला नियत्रंण कक्ष का समुचित संचालन सुनिष्चित करायेगें। सभी विधान सभा से संबंधित सूचना तथा मतदाता सूची में नाम सामिल करने/सेवा मतदाता तथा अन्य से संबंधित निदेष/प्रतिवेदन का दो–दो फोल्डर नियत्रंण कक्ष को उप–निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया जायगा।

सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ जिला स्तर पर बैठक करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा कई निदेष दिये गये। निर्वाचक नामावली बीएलओ को उपलब्ध कराया गया अथवा नहीं। दोहरी ईपिक नं0 के विरूद्ध निर्गत ईपिक के वितरण की स्थिति। विधानसभा के अंदर दोहरी प्रविष्ट के विलोपन की स्थिति। आधार नं0 मोबाईल नं0 एवं ई–मेल के संग्रहण की प्रगति। बीएलओं के कार्य के जांच की स्थिति। लोकसभा चुनाव 2014 के 10 प्रतिषत लोवर पोल वाले मतदान केन्द्र पर कम मतदान के कारणों की जांच। बीएलओ द्वारा किये गये कार्य के औचल निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु निम्न प्रकार है। बीएलओ द्वारा दावा आपत्ति से संबंधित प्राप्त आवेदन यथा 6. 6क. 7. 8. आदि पंजी में संधारित किया जा रहा है अथवा नहीं। आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जा रही है अथवा नहीं ? जॉचोपरांत दावा आपत्ति से संबंधित आवेदन आवष्यक कार्रवाई हेतु सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास है अथवा नहीं। प्रवासी मतदाता द्वारा प्ररूप 6क में आवेदन दिया गया है अथवा नहीं ? प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदन में 18–19 वर्ष आयु समूह के कितने आवेदन है। पुरूष एवं महिला अलग–अलग दर्षाते हुए विवरणी तैयार की गयी है या नहीं ? बीएलओं द्वारा विभिन्न आयु समूह यथा 18–19 वर्ष 20–29 वर्ष 30–39 वर्ष आदि के क्रम मे मतदाता की विवरणी तैयार है अथवा नहीं ?

निर्वाचन सूची में जिन मतदाता के नाम के आगे छाया चित्र नहीं है अथवा खराब छाया चित्र है उनसे अच्छा रंगीन छाया चित्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ? जिस निर्वाचन के नाम के आगे किसी अन्य व्यक्ति का चित्र लगा है सही छाया चित्र संग्रहित किया गया है अथवा नहीं ? प्रारूप प्रकाषन के बाद भाग सं0 में कोई नया मकान बन गया है यदि हॉ तो उसमें रहने वाले योग्य व्यक्ति के द्वारा नाम सम्मिलित हेतु आवेदन दिया गया है या नहीं ? बीएलओ के भाग क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग के मतदाता के बस्ती में रहने वाले योग्य मतदाता का नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज हुआ है या नहीं ? बीएलओ के पास उनके भाग क्षेत्र अंतर्गत हाल में मृत व्यक्ति के संबंध में संख्यात्मक सूचना है अथवा नहीं ? बीएलओ के पास ईपिक वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं यदि हॉ तो इसके वितरण की स्थिति ? दोहरी ईपिक वाले मतदाता के विरूद्ध तैयार जो नये ईपिक वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये है उनके वितरण की स्थिति। बीएलओ के द्वारा दोहरी प्रविष्टि से संबंधित बिंदूओं की जॉच की गयी है या नहीं क्या अब भी उनके भाग सं0 अंतर्गत दोहरी प्रविष्टि रह गयी है ? विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दोहरी प्रविष्टि सूची की जॉच बीएलओ द्वारा की गई है या नहीं ? बीएलओ के द्वारा आधार नं0 मोबाईल नं0 एवं ई–मेल नं0 के संग्रहण से संबंधित विवरणी उपलब्ध है अथवा नहीं ? बीएलओ के द्वारा निर्वाचन सूची में दर्ज 80 वर्ष से अधिक के मतदाता का सत्यापन किया गया है अथवा नहीं ?

सभी बीएलओ को मुष्तैदी एवं सावधानी पूर्वक कार्य संपादन का निदेष दिया गया। किसी प्रकार की गैर जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जायगा।

यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्णियाँ